निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 07/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

देवकरण पुत्र श्री छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजकुमार कस्वा आर ए एस पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर।
2 जगदीश पुत्र जग्गा जाति गुर्जर
3 कृष्ण चन्द उर्फ कालू पुत्र जग्गा जाति गुर्जर
4 चिरंजी लाल पुत्र बद्रीनारायण जाति बारागांव
5 श्योजी पुत्र नाथू जाति गुर्जर
6 जयनारायण पुत्र नाथू जाति गुर्जर
7 राम प्रसाद पुत्र नाथू जाति गुर्जर
8 दिलखुश पुत्र लाला नाबालिग
9 मनीषा पुत्री लाला नाबालिग
10 सुनीता पुत्री लाला नाबालिग
11 बाबूडी पुत्री लाला नाबालिग
12 छोटी पुत्री लाला नाबालिग
13 चुका पुत्री लाला नाबालिग
समस्त जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता गुड्डी देवी पत्नी लाला जाति गुर्जर।
14 गुड्डी देवी पत्नी लाला जाति गुर्जर।
15 तहसीलदार फागी जिला जयपुर
16 सब रजिस्ट्रार फागी जिला जयपुर
17 सीताराम पुत्र छीतर जाति गुर्जर
18 हनुमान पुत्र छीतर जाति गुर्जर
19 रतन लाल पुत्र छीतर जाति गुर्जर
20 रामलाल पुत्र छीतर जाति गुर्जर
समस्त निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 133/2017 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 83/2017 व उनवानी देवकरण बनाम जगदीश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थित:-

1. श्री विजय सिंह बारेठ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

## निर्णय

दिनांक 28.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 133/2017 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 83/2017 ब उनवानी देवकरण बनाम जगदीश व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण को दिनांक 25.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु कोई उपस्थित नही हुआ ।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 30.08.2017 को उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात पक्षकारान मुकदमा को, तामील नोटिस प्राप्त हो जाने तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के पश्चात जवाब दावा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की विधि सम्मत मियाद गुजरने के पश्चात तथा पेशी दर पेशी पत्रावली पर गत तारीख पेशी तक भी जबाब दावा व जबाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण/अप्रर्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी को वादी द्वारा कई बार जबाब दावा व जबाब प्रार्थना पत्र बंद करने हेतु निवेदन किया गया । इस पर पीठासीन अधिकारी ने वादी/प्रार्थी को कहा कि इतनी जल्दी क्या है। क्या तुम्हारा ही एक मुकदमा है, जिसकी सुनवाई करना अतिआवश्यश्क है और भी कई मुकदमें चल रहे है। जो 06 वर्षो से भी अधिक समय से जबाब दावा व जबाब टी आई में चल रहे है। ऐसा सुन कर वादी व उसके अधिवक्ता हतप्रद रह गये । जिससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि उपखण्ड अधिकारी प्रतिवादीगण से अपनी रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुये उनको एक तरफा लाभ पहुंचाने की चेष्टा में है जो कानूनन विधि विरूद्व उपखण्ड अधिकारी की हठ धर्मिता को दर्शाता है। गत तारीख पेशी पर वादी न्यायालय में उपस्थित हुआ तो वहां पर पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में प्रतिवादीगण में से राम प्रसाद व अन्य दो तीन प्रतिवादीगण वहां अधिकारी से बात चीत कर रहे थे तथा वादी की उपस्थिति में पीठासीन अधिकारी भी जान बूझ कर प्रतिवादीण से खुलकर आम बात कर रहे थे तथा इसके पश्चात प्रतिवादीगण बाहर निकले तथा वादी को तंज कसकर कहा कि हम ममारी अधिकारी सेू बात हो गई है। अब हम जो चाहेंगे इस प्रकरण में आदेश करा लेंगें वादी प्रार्थी प्रतिवादीगण की हरकत को देख कर आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 7 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त की कोई उम्मीद नही है। ऐसी सिथत में उक्त मामले को जयपुर स्थित अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

यद्यपि उप खण्ड अधिकारी फागी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, परन्तु प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 133/2017 व स्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 83/2017 व उनवानी देवकरण बनाम जगदीश व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 21.03.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर फागी में उपस्थित हो।
8. सहायक कलक्टर फागी उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी फागी व सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सृजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर